4 | दैनिक जागरण

कोलकाता जागरण

www.jagran.com

एकनजर

नौकरी के नाम पर ठगने वाला गिरफ्तार

गांजा बेचने वाले चार गिरफ्तार

लघु उद्योग विकास का इंजन : मानस

साहसी फिरदौसी को पुलिस ने किया सम्मानित

पूर्व न्यायाधीश को हाईकोर्ट का नोटिस

सशक्त लोकपाल समय की मांग : भाजपा

पुलिस की नाकामी पर सुलगा खड़दह

हर बार क्यों निशाना बन रही खड़दह पुलिस?

29 फरवरी को 'जनलिज्म अवार्ड्स 2011'

मटियाबुर्ज से दहीघाट तक बनेगा फ्लाइओवर

शशि दत्तर ने वैधीकरण की खुफिया गिनाई

घमंडी को सत्य का दर्शन

बड़ी कंपनियों के नकली उत्पाद जब्त

घोषणा : लहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने दी जानकारी

पूर्व न्यायाधीश को हाईकोर्ट का नोटिस कोलकाता, जागरण

संवाददाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश जस्टिस जीसी दे ने नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस की अदालत ने अमेरिकी एनआरआई डाक्टर कुणाल साहा की तरफ से दायर मामले में सुनवाई करते हुए यह नोटिस दिया है। पूर्व न्यायाधीश दे पर आरोप है कि उन्होंने 2004 में याचिकाकर्ता साहा की पत्नी अनुराधा की गलत इलाज के कारण मौत के मामले में तीन डाक्टरों को बरी करते हुए अपमानजनक व निंदनीय टिप्पणी की थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों डाक्टरों (सुकुमार मुखर्जी, अवनी राय चौधरी व वैद्यनाथ हल्दर) व आमरी अस्पताल को 7 अगस्त 2009 को अनुराधा की मौत के लिए दोषी माना था। इसके बाद साह ने हाईकोर्ट में पूर्व न्यायाधीश के उस टिप्पणी के खिलाफ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जयनाराणय पटेल को पत्र लिखते हैं, जिसके बाद उन्होंने मामले को न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस की अदालत भेज देते हैं। अमेरिका के ओहियो के रहने वाले कुणाल साहा का कहना है कि पूर्व न्यायाधीश दे ने उन पर गैरजिम्मेदाराना आरोप लगाते हुए कहा था कि पत्नी की मौत के लिए असल में वे जिम्मेदार हैं। उन्होंने वित्तीय लाभ उठाने के मकसद से और भारत में अमेरिकी स्वास्थ्य बीमा ही तीनों डाक्टरों के खिलाफ मामला दायर किया। पिछले अगस्त में याचिका को बैंकशाल कोर्ट में दायर करने के बाद वहां से हाईकोर्ट में अपील करने का परामर्श दिया गया था। इसके बाद ही कुणाल ने हाईकोर्ट में मामला दायर करके और न्यायाधीश बोस के समक्ष अपनी बात रखते हैं। इसके बाद ही हाईकोर्ट ने साह की अपील पर पूर्व न्यायाधीश को नोटिस जारी करते हुए 30 जनवरी तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है।